

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 10 सितम्बर, 2008

विषय: आपदा राहत निधि से किये जाने वाले भौतिक एवं वित्तीय व्यय का विवरण भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स में मद संख्या-1 से 26 में विभिन्न मदों में व्यय का प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा वेब आधारित वित्तीय एवं भौतिक विवरण प्रत्येक माह भेजे जाने की अपेक्षा की गयी है। अतः जनपद स्तर से भी तदनुसार मासिक व्यय विवरण भेजा जाना अनिवार्य हो गया है। राहत आयुक्त की वेबसाइट **www.rahat.up.nic.in** पर CRF/NCCF Monitoring System (भौतिक/वित्तीय कार्य का विवरण) नामक लिंक पर उपलब्ध डाटा इंट्री फारमेट में मदवार कार्यों का विवरण दिया गया है जिसे Select कर उस मद में क्रमिक विवरण भरा जायेगा। किसी भी माह के क्रमिक आंकड़ों का इंड्राज (डाटा इंट्री) अगले माह की 5 तारीख तक भरा जाना अपेक्षित है। इस बिन्दु पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि जिन मदों में व्यय किया गया है केवल उन मदों में ही इंड्राज किया जाए। जिन मदों में कोई व्यय नहीं किया गया है और भौतिक प्रगति में पूर्व माह की प्रविष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उन मदों में कोई इंड्राज नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त दैनिक बाढ़ विवरण प्रविष्टि (Daily Flood Detail Entry) के लिंक पर जाकर प्रतिदिन की सूचना उल्लिखित मदों में की जायेगी। इसमें की जाने वाली प्रविष्टि प्रतिदिन सायंकाल 7.00 बजे तक अवश्य कर ली जाए। जहां यह प्रविष्टि एन0आई0सी0 के कम्प्यूटर से किन्हीं कारणों से किया जाना संभव न हो वहां जनपद मुख्यालय पर किसी ऐसे स्थान से जहां इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध हो वहां से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

दैनिक वर्षा के संबंध में भी वेबसाइट पर दैनिक वर्षा विवरण प्रविष्टि (Daily Rain Fall Details Entry) भी किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इस पर प्रतिदिन 8:00 बजे तक के वर्षा के आंकड़े प्रातः 10:00 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

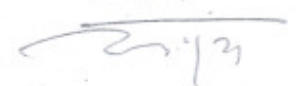
प्लॉटवार सर्वेक्षण पर आधारित कृषि निवेश अनुदान के प्रस्ताव की प्रविष्टि (Plotwise Agriculture Input Subsidy Proposal data Entry) भी की जानी है। चूंकि बाढ़ से कई स्थानों पर इस प्रकार की क्षति हुई है, अतः विभिन्न जनपदों से यह प्रविष्टि तत्काल की जायेगी।

आंकड़ों का इंड्राज करते समय यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड पहले ही जनपदों को आवंटित हैं। इसकी जानकारी स्थानीय एन0आई0सी0 कार्यालय के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के पास उपलब्ध है। कार्य करते समय यदि किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई का अनुभव होता है तो राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ में तैनात श्री संजय अग्रवाल, मो0-9415906077 पर उनसे सम्पर्क किया जा सकता है।

उक्त वेबसाइट में विशेष रूप से मदों का विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। अतः आंकड़ों की प्रविष्टि करते समय किसी भी भाषा में मदों का चयन कर आंकड़ों का इंड्राज किया जा सकता है।

स्पष्ट किया जाना है कि यदि विधान सभा या विधान परिषद द्वारा विशेष रूप से किसी पत्र द्वारा सूचना प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की जाती है तो वह यथानुसार फैक्स/डाक से भेजा जाना अनिवार्य रहेगा।

भवदीय,



(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।
- 2- श्री एस0बी0 सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव